कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विभाग द्वारा किये गये कार्य

(दिनांक 21-05-2020 तक की स्थिति)

राज्य के कृषको हेतु उठाए गए कदम

1. वर्तमान परिपेक्ष्य में किसानो की स्थिति एव फसलो के तैयार होने के दृष्टिगत रबी खरीद सत्र 2020-2021 मे गेहूँ खरीद 15 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ की जा चुकी है। आतिथि तक राज्य में 2.88 लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष 53.33 करोड़ की धनराशि का भुगतान 48 घण्टे की निश्चित अवधि के भीतर लगभग 4176 कृषको को किया जा चुका है।

2. गेहूँ खरीद की प्रक्रिया में सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु प्रत्येक खरीद केन्द्र पर प्रतिदिन गहूँ खरीद हेतु 10 किसानो या 500 कुन्तल की सीमा निर्धारित की गयी है। साथ ही उक्त हेतु टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गयी है। साथ ही ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन की भी सुविधा दी जा रही है।

प्रवासियों हेतु उठाये गए कदम

1. आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी हेतु भारत सरकार से आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा आवंटन जारी किया जा चुका है (अनुमानित रूप से लगभग तीन लाख प्रवासी नागरिकों के दृष्टिगत)। साथ ही जनपदों को चिन्हाकन एवं फीडिंग हेतु दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है।

2. ऐसे गरीब परिवार एवं श्रमिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तात्कालिक रूप से सभी को निःशुल्क राशन का वितरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निरन्तर करवाया जा रहा है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार आतिथि तक लगभग 2.15 लाख किट वितरित किये जा चुके है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियो हेतु उठाए गए कदम

1. ‘‘वन नेशन वन कार्ड‘‘ के अन्तर्गत राज्य में माह जून, 2020 में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसमें अन्य राज्यों से आने वाले परिवारों को लाभ होगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) के राशन कार्ड है। यह खाद्यान्न बायोमैट्रिक पहचान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 13.47 लाख राशन कार्ड धारकों (गुलाबी एवं सफेद) के लिए तीन माह (अप्रैल, मई, जून, 2020) का नियमित खाद्यान्न का अग्रिम आवंटन करते हुए अभी तक 7.75 लाख कुन्तल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त 13.47 लाख परिवारों को तीन माह हेतु प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क 05 किग्रा0 चावल का आवंटन करते हुए माह अप्रैल एवं मई, 2020 में अभी तक 5.73 लाख कुन्तल चावल वितरित किया जा चुका है। माह जून, 2020 का वितरण जून, 2020 में किया जायेगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 1 किग्र0 तुर दाल प्रतिमाह माह अप्रैल, 2020 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा येाजना के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के डेटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने तथा राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत भी अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के डेटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें 5073 राशन कार्डों को तत्काल आनलाइन करते हुए 18108 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियो हेतु उठाए गए कदम

1. राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत पीले कार्डों पर 10.28 लाख परिवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा तीन माह (अप्रैल, मई, जून, 2020) हेतु प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 (12.50 किग्रा0 अतिरिक्त) खाद्यान्न प्रतिकार्ड करने का निर्णय लिया गया है। जिसका आवंटन करते हुए अभी तक 3.77 लाख कुन्तल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

2. मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के 23 लाख परिवारों को 2 किग्रा0 दाल (01 किग्रा0 चना रू0 41 प्रति किग्रा0 तथा 01 किग्रा0 मसूर रू0 51 प्रति किग्रा0) उपलब्ध करायी जा रही है।

नागरिकों हेतु उठाए गए कदम

1. सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुऐ भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में 3969 राशन की दुकानों में अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों, असहाय व्यक्तियों एवं बीमार व्यक्तियों को दूरभाष के माध्यम से डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

2. नगरीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी करवाई जा रही है। जिसके लिए बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल एप प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिससे सामाजिक दूरी का अनुपालन कराया जा सके एवं नागरिकों को घर पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। होम डिलिवरी को नागरिकों हेतु सुगम बनाने हेतु जन आपूर्ति उत्तराखण्ड एप की सुविधा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करायी गयी है।

3. मण्डी समितियों एवं डेरी विभाग के माध्यम से सब्जी, फलों एवं दूध की उपलब्धता को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही थोक दरों पर डिलिवरी वैन के माध्यम से आम जन को सब्जी एवं फलों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। साथ ही राशन की दुकानों के माध्यम से भी निर्धारित दरों पर आलू प्याज का वितरण कराया जा रहा है।

4. जनपदों में कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत राशन, खाद्य पदार्थ एवं किराना से सम्बन्धित दुकानो को अधिक समय तक खुला रखने तथा इनके निर्बाध आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे है।

5. पैट्रोलियम प्रोडक्टस, एल0पी0जी0 एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की निरन्तरता तथा निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश से समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के अधिकारियों के समन्वय से आवश्यक प्रयास किये जा रहे है। आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से भी समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की निरन्तरता सुनिश्चित की जा रही है।

6. समस्त थोक विक्रेताओं/कमीशन एजेन्टस एवं फुटकर विक्रेताओं को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को इस संकट की घड़ी में आवश्यक रूप से उचित मूल्य एवं उचित मात्रा पर वितरण करने हेतु निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है। एम0आर0पी0 का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही ओवर रेटिंग को रोकने हेतु जनपद में आपूर्ति, बाट माप, खाद्य सुरक्षा, मण्डी एवं डेरी की संयुक्त टीम द्वारा निरन्तर छापेमारी भी की जा रही है।

7. आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित व्यवसायों यथा फुटकर विक्रेताओं, आढतियों, थोकविक्रेताओं, रिटेल स्टोर्स, फ्लोर मिल, राइस मिल, पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सरकारी खाद्यान्न गोदाम, राशन की दुकानों, डेरी आदि को निरन्तर खुलवाया जा रहा है तथा इनके परिवहन कार्य में लगे लोगों, मजदूरों एवं ढुलान कार्य में लगे लोगों को निरन्तर कार्य किये जाने हेतु पे्ररित किया जा रहा है। जिससे आवश्यक वस्तुओ की शुलभता बनी रहे।

8. आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित व्यवसायों में लगे लोगों को कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कार्य किये जाने हेतु निरन्तर विभिन्न माध्यमों यथा ई-मेल, व्हटसएप ग्रुप, वीडियो कान्फ्रेन्स एवं दूरभाष के माध्यम से दिशानिर्देश दिये जा रहे है।

9. आम जनमानस को भी कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉक डाउन का पालन, सामाजिक दूरी का अनुपालन, राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी एवं

अनावश्यक होर्डिंग न किये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु जनहित में राज्य के समस्त पैट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, खाद्यान्न गोदामों, राशन की दुकानों एवं समस्त डिलिवरी वेनो में उक्त जानकारी के स्टीकर चस्पा कराये जा रहें है। साथ ही अखबारों एवं रेडियो के माध्यम से जिंगल व अपील का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

10. इसके अतिरिक्त राज्य के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने तथा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाइ उत्पन्न होने पर अपनी समस्या को दर्ज कराने एवं उसके तात्कालिक निवारण हेतु **टोल फ्री हैल्पलाइन नं0 1800-180-4188** प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक संचालित किया जा रहा है।

11. आम जनमानस को राशन, एल0पी0जी0 एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा इनकी सप्लाई चेन मेन्टेन रखने हेतु खाद्य, नागरिक आूपर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तीनो शाखाओं (आपूर्ति, विपणन एवं विधिक माप विज्ञान) के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ अथक प्रयास किया जा रहा है।